राज्यससभा

तारांकित प्रश्नप संख्या*190

16 दिसम्ब र, 2015 को उत्त र के लिए

इस्पात के उत्पादन और निर्यात हेतु लक्ष्य

*190. **श्री मेघराज जैन:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस्पात के उत्पादन, घरेलू उपभोग एवं निर्यात के लिए क्रमशः निर्धारित और हासिल लक्ष्यों का ब्यौरा क्या-क्या है;

(ख) इस संबंध में अगले तीन वर्षों के लिए क्या संशोधित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और

(ग) क्या सरकार द्वारा आगामी वर्षों में इस्पात के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तगर

इस्पा9तऔर खान मंत्री **(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***

"इस्पात के उत्पादन और निर्यात हेतु लक्ष्य" के बारे में श्री मेघराज जैन, संसद सदस्य द्वारा राज्य् सभा में दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *190 के भाग (क) से (ग) के संबंध में विवरण

(क) और (ख): इस्पावत एक नियंत्रण मुक्तए क्षेत्र है और इसलिए इस्पा1त के उत्पाभघरेलू खपत और निर्यात के लक्ष्यं सरकार द्वारा निर्धारित नही किये जाते है। इस्पाेत के उत्पालदन्घरेलू खपत और निर्यात से संबंधित निर्णय अलग-अलग इस्पारत उत्पाेदकों द्वारा बाजार मांग और उनके अपने-अपने अन्य वाणिज्यिक सोच विचारों के आधार पर लिये जाते है। तथापि, उत्पाेदन खपत तथा निर्यात के ब्यौरे नीचे दिये गये है:-

आंकड़े मिलियन टन में

क्रूड इस्पा त		फिनिश्डड इस्पाौत	
वर्ष	**उत्पादन**	**निर्यात**	**वास्ताविक खपत**
2012-13	78.42	5.37	73.48
2013-14	81.69	5.98	74.09
2014-15	88.98	5.59	76.99
स्रोत: संयुक्तं संयंत्र समिति			

(ग): इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है। तथापि, सरकार सर्मथकारी नीतियों के द्वारा उद्योग को सुविधा जनक बनाने का प्रयास करती है। सरकार ने इस्पा त निर्माण की लगभग 110 एमटीपीए क्षमता को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाकर 300 एमटीपीए करने का एक महत्व्कांक्षी विजन निर्धारित किया है। सरकार ने उत्पादन में प्रत्या।शित वृद्धि के मद्देनजर कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए ''माइन्सन एण्ड मिनरल (डेवलपमेंट एण्डा रेग्यूलेशन) अमेंडमेंट एक्ट् 2015'' भी लागू किया है। जहॉ तक इस्पा त के निर्यात का संबंध है, सरकार घरेलू उद्योग को प्रतिस्प'र्धा का समान अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है , ताकि विदेशों के बाजारों में इस्पासत का निर्यात प्रतिस्पनर्धात्मेक हो सके। घरेलू इस्पाेत उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने निम्न लिखित उपाय किए है:-

(i) सरकार ने इस्पातत के गुणवत्ता पूर्ण उत्पाइदों को सुनिश्चित करने लिए दिनांक 12.03.2012 को 'स्टीरल एण्ड स्टीवल प्रोडक्ट- (क्वांलिटी कंट्रोल) आर्डरअधिसूचित किया है, जिसे अंतिम बार दिनांक 04.12.2014 को संशोधित किया गया है ।

(ii) लौह अयस्क4 से समृद्ध झारखण्ड4, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों में बड़ी क्षमता की ग्रीन फील्डस परियोजनाओं को प्रोत्सा हित करने के लिए स्पेयशल पर्पज व्हीगकल (एसपीवी) फ्रेमवर्क अपनाया गया है।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों ने इस्पाीत उत्पाेदन की क्षमता को बढ़ाने के लिए विस्ताएर योजनाएं हाथ में ली हैं। सेल ने अपनी क्रूड इस्पाेत उत्पा्दन क्षमता को 12.8 एमटीपीए से बढ़ाकर 21.4 एमटीपीए करने के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार योजना हाथ में ली हैं। आरआईएनएल ने अपनी क्षमता को 3 एमटीपीए से 6.3 एमटीपीए करने के लिए विस्ता र कार्य हाथ में लिए है। एनएमडीसी ने 3 एमटीपीए क्षमता के एक नए इस्पाित संयंत्र की स्थायपना का कार्य आरम्भह किया है।

(iv) केन्द्रीय बजट में फ्लैट और नॉन फ्लैट दोनों इस्पापत पर सीमा शुल्कस की उच्चीतम दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।

(v) सरकार ने जून, 2015 में स्टेैनलैस स्टी ल के कतिपय किस्मों के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पा दों के चीन ($ 309 प्रति टन), कोरिया ($ 180 प्रति टन) और मलेशिया ($ 316प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई है।

(vi) सरकार ने सितम्ब र, 2015 में 200 दिनों की अवधि के लिए 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वा यलों में नान अलॉय और अन्य5 अलॉय स्टीसल के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पा्दों पर 20 प्रतिशत का अनन्तिम सुरक्षोपाय शुल्कस लगाया है।

***